

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....12/...../2026

सं०सं० अ०नि० (02) 43/2026/नि०सं०

श्रीमती अंजली मेहरा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 01.04.2026 से 30.05.2026 तक कुल 60 (साठ) दिनों का शिशु देखभाल हेतु शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती अंजली मेहरा द्वारा उक्त दिनों का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने के पश्चात् इनका कुल 730-60 = 670 दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष संचित है।

3. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 43/2026/नि०सं०.....

दिनांक

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा/मुख्य अभियोजक, दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती अंजली मेहरा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 43/2026/नि०सं०.....1582

दिनांक ..19/6/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/6/26
उप सचिव।

Wahab